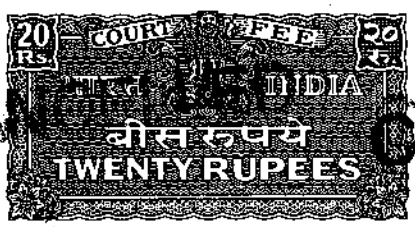

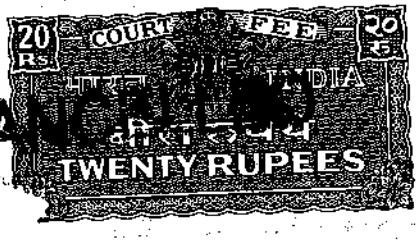

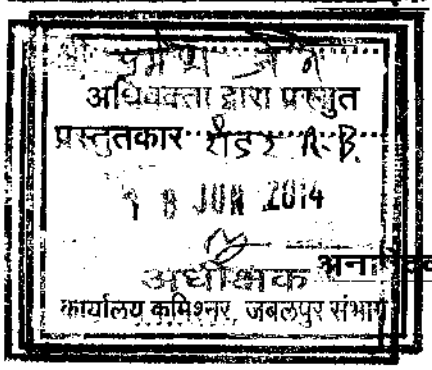

COURT FEE — INDIA — बीस रुपये — TWENTY RUPEES (20 Rs.) — CANCELLED

COURT FEE — INDIA — बीस रुपये — TWENTY RUPEES (20 Rs.) — CANCELLED

(161)

-1-

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

R-2366-II/14

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2014–15

आवेदक : गजेन्द्र सिंह ठाकुर आत्मज श्री शंकर सिंह ठाकुर उम्र–26 वर्ष, निवासी–पंजाब नेशनल कालोनी रामपुर जबलपुर

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
18 JUN 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरूद्ध

अनावेदक : 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर
2. श्रीमति सुनीता ठाकुर पत्नि स्व. श्री अजीत सिंह उम्र–52 वर्ष, निवासी–वृन्दावन दुबे की गली दीक्षितपुरा जबलपुर

(370)

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. सं. 1959

आवेदक न्यायालय नायब तहसीलदार कंटगी–2 के रा.प्र.कं. 7–अ–6/13–14 गजेन्द्र सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 19.05.2014 से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है:–

YXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2366-एक/14 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-5-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया यह निगरानी तहसीलदार कटंगी के प्रकरण क्रमांक 7/अ-6/13-14 में पारित आदेश दिनांक 19-5-14 से क्षुब्ध होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय में आवेदक द्वारा वसीयत नामा के आधार पर ग्राम कांटी प.ह.नं. 5/5 खसरा नं. 137 रकबा 1.51 हैक्टर पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही प्रारंभ की । जिस पर अनावेदक कं. 2 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । तहसीलदार ने विचारोपरांत दोनों पक्षों को सुनकर उभयपक्ष के मध्य सिविल न्यायालय में स्वत्व घोषणा के संबंध में सिविल वाद विचाराधीन होने से सिविल न्यायालय के निर्णय तक अपने न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित किया है । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । 2/ प्रकरण में आवेदक की ओर से मौखिक तर्क तथा अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से लिखित तर्क पेश किए गए हैं । 4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है और स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होगा जो पक्षकारों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों पर भी बंधनकारी होगा । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में तहसीलदार ने उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर	

प्र0 क्र0 निगरानी 2366-दो/14 (गजेन्द्र सिंह विरूद्ध शासन आदि)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कार्यवाही सिविल न्यायालय के निर्णय होने तक स्थगित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	